रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928
No. 436] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 556(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610क की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 25 की उप-धारा (5) और उप-धारा (8) तथा धारा 609 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाती है :

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (तृतीय संशोधन) विनियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी विनियम, 1956 में–

(i) विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"25(1) कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा उसके पास, रजिस्ट्रीकृत, अभिलिखित या फाइल किए गए किसी दस्तावेज का निरीक्षण, करना चाहता है, तो वह रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 610 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उस निमित्त विहित फीस के साथ इस प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा ।

(2) आवेदक को, केवल रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति में ही, और केवल कार्यालय के कार्य-समय के दौरान ऐसे दस्तावेज जो इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का भाग नहीं है, का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।"

(ii) विनियम, 31 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"31वे दस्तावेज जो रजिस्ट्रार के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप से या जिनकी स्कैनिंग कर दी गई है और जो अंकीय रूप में इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का भाग बन गए हैं और जिन्हें अधिनियम की धारा 610 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन केवल विहित फीस के संदाय पर इलैक्ट्रॉनिक रीति से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे ।"

[फा. सं. 5/18/2005/सी.एल. V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल विनियम, भारत के राजपत्र में संख्या का.नि.आ. 432ख, तारीख 18-2-1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में इनको निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :

1. सा.का.नि. 188, तारीख 9 जनवरी, 1958
2. सा.का.नि. 399, तारीख 24 मार्च, 1962
3. सा.का.नि. 1850, तारीख 1 दिसम्बर, 1966

4. सा.का.नि. 1445, तारीख 16 सितम्बर, 1967
5. सा.का.नि. 668, तारीख 10 जून, 1973
6. सा.का.नि. 523, तारीख 11 जुलाई, 1989
7. का.आ. 367(अ), तारीख 31 मई, 1991
8. सा.का.नि. 924(अ), तारीख 14 दिसम्बर, 1992
9. सा.का.नि. 610(अ), तारीख 23 सितम्बर, 2005
10. सा.का.नि. 157(अ), तारीख 16 मार्च, 2006
11. सा.का.नि. 497(अ), तारीख 21 अगस्त, 2006

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

G.S.R. 556(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (5) and (8) of Section 25 and Sub-section (2) of Section 609 read with Sub-section (2) of Section 610A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Companies Regulations, 1956, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Companies (Third Amendment) Regulations, 2006.

   (2) They shall came into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies Regulations, 1956,—

   (i) for regulation 25, the following shall be substituted, namely :—

   "25 (1) Any person who wishes to inspect a document registered, recorded or filed by or with the Registrar in pursuance of the Act, shall apply to him for the purpose alongwith fee prescribed in that behalf under clause (a) of Sub-section (1) of Section 610 of the Act.

   (2) The applicant shall be allowed to inspect the document, which do not form part of the electronic registry, only in presence of the Registrar or of a person authorized by him in this behalf, and only during office hours."

   (ii) for regulation 31, the following shall be substituted, namely :—

   "31 The documents registered, recorded or filed with the Registrar electronically or documents which have been scanned and digitized and form a part of the electronic registry shall be available for inspection only in electronic manner on payment of fee as prescribed under clause (a) of Sub-section (1) of Section 610 of the Act."

[F. No. 5/18/2005/CL. V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India *vide* number SRO 432B dated 18-2-1956 and subsequently amended by :—

1. G.S.R. 188 dated 9th January, 1958
2. G.S.R. 399 dated 24th March, 1962
3. G.S.R. 1850 dated 1st December, 1966
4. G.S.R. 1445 dated 16th September, 1967
5. G.S.R. 668 dated 10th June, 1973
6. G.S.R. 523 dated 11th July, 1989
7. S.O. 367(E) dated 31st May, 1991
8. G.S.R. 924(E) dated 14th December, 1992
9. G.S.R. 610(E) dated 23rd September, 2005
10. G.S.R. 157(E) dated 16th March, 2006
11. G.S.R. 497(E) dated 21st August, 2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.